भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3670
03.04.2023 को उत्तर देने के लिए

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय

3670 श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दर्ज प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) श्रृंखला, जो वर्तमान में 2011-12 है, के केवल आधार वर्ष में प्रति व्यक्ति निवल मूल्य वर्धित (एनवीए) के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी आय के अनुमानों को संकलित करती है, । वर्ष 2011-12 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति एनवीए क्रमशः 40,925 रुपये और 98,435 रुपये था।

(ख): सरकार देश में पुरुषों और महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच औसत प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों को संकलित नहीं करती है

(ग): सरकार का प्राथमिक नीतिगत उद्देश्य आबादी के सभी वर्गों का विकास है। समावेशी विकास पर इसका ध्यान गरीबी और असमानता को कम करने, सामाजिक सुरक्षा, आय सृजन और आजीविका के

विकल्प प्रदान करने और देश में आबादी के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबका साथ, सबका विकास की प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है।

इस संबंध में, सरकार कई लक्षित कार्यक्रमों को जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) , दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, अल्पसंख्यकों और अन्य कमजोर समूह के विकास के लिए अंब्रेला कार्यक्रम; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना; पीएम-किसान के अंतर्गत निधि हस्तांतरण,, पीएम फसल बीमा योजना दावा भुगतान; उर्वरक सब्सिडी; डेयरी सहकारी समितियों के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता ;कृषि से जुड़ी अवसंरचना के लिए कृषि –अवसंरचना निधि आदि को कार्यान्वित कर रही है

सरकार ने 2018 से आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एडीपी) भी लागू किया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के छह क्षेत्रों (i) स्वास्थ्य और पोषण, (ii) शिक्षा, (iii) कृषि और जल संसाधन, (iv) वित्तीय समावेशन, (v) कौशल विकास, और (vi) आधारभूत अवसंरचना, में चिन्हित जिलों का व्यापक विकास करना है: । इस पहल को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे बहुस्तरीय डोमेन में आवश्यक सरकारी सेवाओं को पूरा करने के लिए 500 ब्लॉकों को शामिल करने वाला आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है।

वर्ष 2014-15 और 2022-23 के लिए अखिल भारतीय वार्षिक प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) मौजूदा कीमतों पर क्रमशः 86,647 रुपये और 1,72,000 रुपये है, जो इस संबंध में उपलब्धि को दर्शाता है।

****